महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

देहरादून: दिनांक 04 मार्च 2013

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लोक निर्माण विभाग पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न कार्यों के प्रथम चरण के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 107.27 किमी0 + 04 सेतु सहित पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 945.87 लाख (₹ नौ करोड़ पैंतालीस लाख सत्तासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 27 कार्यों हेतु कुल धनराशि ₹ 2.70 लाख (₹ दो लाख सत्तर हजार मात्र) की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरुप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निमार्ण खण्ड लो0नि0वि0
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी

[illegible] संख्या–1158 [illegible] 2012 [illegible]

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	कुल स्वीकृत लागत	[illegible]
1	2	3	4	5
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में सुवाखोली–अलमस–भवान–नकुम मोटर मार्ग से थान सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	2.00	25.16	0.10
2	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ में बडेथी बनचौरा–बदीगाड मोटर मार्ग के श्रीकोट बाजार से ग्राम श्रीकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य	1.50	18.87	0.10
3	जनपद पिथौरागढ़ में कसीडेत पोखरी भिनगढ़ी खैरोली मोटर मार्ग का सुधार एवं हॉट मिक्स द्वारा डामरीकरण का कार्य। (घोषणा संख्या–571/2012)	20.00	6.20	0.10
4	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ में मरगांव–जसपुर– धमियारी से उलण तक मोटर मार्ग का विस्तार। (किमी0 8.00 से 16.00 तक)	9.00	113.22	0.10
5	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में खालसी मोटर मार्ग के थौला से कुमराड़ा (मुण्डरसेरा) मोटर मार्ग (किमी0 0.00 से 2.00 किमी0 तक) का निर्माण।	2.00	25.16	0.10
6	जनपद हरिद्वार में रुड़की नगर में गंगनहर पर बनने वाले सस्पेंशन (लोहे के पुल) के स्थान पर आर0सी0सी0 (डेढ़ लेन) सेतु का निर्माण।	75 mt	7.51	0.10
7	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में बडेथी–बनचौरा–बदीगाड मोटर मार्ग से बरेठ मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण)	3.00	37.74	0.10
8	जनपद पौड़ी गढ़वाल में ग्राम क्यार को बडेथखाल–गुम– किनसूर–बागी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (3.0 किमी0 लम्बाई के मोटर मार्ग किमी0 1.0 में 21 मी0 स्टील सहित)	3.00 + 21mt	39.21	0.10
9	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में इन्द्रा–टिपरी हल्का वाहन मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	6.50	22.43	0.10
10	जनपद पौड़ी गढ़वाल में आगरसैण–बुधोली मोटर मार्ग का सेतु सहित निर्माण कार्य।	2.00	28.70	0.10
11	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में भवानीपुर से जोगथ तल्ला मोटर मार्ग का नव निर्माण।	6.00	75.60	0.10
12	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में धादमी–गोपाल गौलोक धाम मोटर मार्ग से खाण्डगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2.00	25.20	0.10
13	जनपद पौड़ी गढ़वाल में डाडामण्डी–जर्मली मोटर मार्ग से ग्राम सैंज सिरई जौली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	25.20	0.10

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2013 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii)-- उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 2.70 लाख का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 23 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं0:- S1303220042 दिनांक 04-03-2013 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं0- 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय--03 राज्य सेक्टर--02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 1028(i)/XXVII/(2)/2012 दि0 01 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या:- 1648 (1)/III(2)/13-52(प्रा0आ0)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, ग0क्षे0/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

सहायक अभियन्ता
निमार्ण खण्ड लो0नि0वि0
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी